ज्ञान तत्व 170

(क) लेख आचार्य पंकज द्वारा लोक स्वराज्य पर तथा मेरा उत्तर ।

(ख) महावीर सिंह जी बरेली के प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(ग) रामसेवक गुप्त द्वारा रामदेव जी संबंधी प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(घ) रवि अग्रवाल द्वारा प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(च) दिल्ली के अनुभव।

(छ) रामानुजगंज में सामाजिक राजनीति का नया प्रयोग।

(ज) तीस जनवरी का आंदोलन।

(क)लोक स्वराज्य

आचार्य पंकज

लोकतंत्र में निर्वाचन जितने सहज एवं निष्पक्ष होंगे, उतना ही शासन भी निष्पक्ष एवं निःस्वार्थ होगा। यदि राष्ट्र का आर्थिक ढॉचा इस परिस्थिति के निर्माण में सहायक है, तब वह वरेण्य है अन्यथा त्याज्य। समाज का एक बड़ा अंग यदि आर्थिक अभाव ग्रस्त रहा, तब क्या वह राजनीतिक अभिव्यक्ति में स्वतंत्र रह पायेगा। जब आज शिक्षित वर्ग का जीविकोपार्जन में सक्षम व्यक्ति भी अहर्निश अपने भरण पोषण की चिन्ता एवं व्यवस्था में ही जुटा रहता है और शासन व्यवस्था में सहभागी बनने के अपने अधिकार का उपयोग केवल सतही आधारों पर करता है, तब आर्थिक रूप से अभावग्रस्त अशिक्षित, उत्साहहीन नागरिक से यह अपेक्षा करना कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग नीर–क्षीर विवेक के आधार पर करेगा, उचित नहीं कहा जा सकता। आर्थिक दासता में बंधा हुआ व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता का उपयोग कदापि नहीं कर सकेगा। भीष्म पितामह जैसे महान् योद्धा एवं दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति भी भरी सभा में हुये नारी अपमान का प्रतिकार नहीं कर सके। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि ''अर्थस्य पुरूषो दास '' अर्थात आर्थिक दासता में बंधा रहने के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करने में असमर्थ हो जाता है। जब भीष्म पितामह जैसे की वह स्थिति हुई तब जो हर समय नून,तेल लकड़ी का जुगाड़ बैठाने में ही थक कर चूर हो जाता है या वह जो नून,तेल,लकड़ी के दर्शनों की आकांक्षा में ही पलक पसारे बैठा है, वह किस सीमा तक मतदान में स्वतंत्र रह पायेगा, यह विचारणीय है। इस लिये अर्थ–प्रणाली इस प्रकार संचालित होनी चाहिये कि व्यक्ति की आर्थिक अवस्था उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता को किंचित भी प्रतिबंधित न कर सके। अतः जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार संविधान में स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार जीविकोपार्जन का अधिकार भी उसे दिया जाना परमावश्यक है। रोटी का अधिकार व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है। प्रकृति की वितरण प्रणाली समानता को आधार देकर गतिशील है। राज्य उसे कार्योपयोगी बनाये एवं उसके भरण पोषण में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो, इसकी व्यवस्था करें, यही राज्य व्यवस्था का मूल कर्तव्य है। अन्यथा राज्य तंत्र केवल निहित स्वार्थो का उपकरण मात्र ही बना रहेगा। इस चिन्तन सारणी से यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि जब तक समाज में आर्थिक विषमता विघमान रहेगी, तब तक आर्थिक सत्ता के कुछ विशेष केन्द्र बने रहेंगे, जो ऐसे आर्थिक दबाव उत्पन्न करते रहेंगे, जिनसे कि अभावग्रस्त समूह सदा उनके चंगुल में फंसे रहे। अर्थ का अभाव जहॉ विवके शून्यता पैदा करता है तथा अभिव्यक्ति कुंठित करता है, वहॉ अर्थ का प्रभाव भी व्यक्ति अथवा समूहों को अपना साम्राज्य बनाये रखने के लिये प्रेरित करता है। पाप दोनों ही दशाओं में पनपता है। भूख यदि पाप करने के लिये विवश करती है वही सीमातीत आर्थिक प्रचुरता विलासता एवं तज्जन्य कदाचार को जन्म देती है। दैहिक कष्टों को भुलाने के लिये भी मनुष्य नशा कर सकता है और धन की प्रचुरता का नग्न प्रदर्शन करने के लिये भी 'डिंक समारोह' आयोजित कर सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ एवं सार्थक नागरिक बनाने के लिये न्यूनतम आर्थिक साघनों की आश्वस्ति तथा उस सीमा तक न पहुॅचने देने की व्यवस्था करना की जहॉ से वह अर्थ को शोषण के रूप में प्रयोग करने तथा विलासता अपव्यय करने के लिये समर्थ हो सके, अर्थ प्रणाली का सर्वप्रमुख लक्ष्य होना चाहिये। अर्थ के अभाव से मुक्त मनुष्य जहॉ स्वतंत्र राजनीति के लिये समर्थ हो सके, अर्थ के प्रभाव से मुक्त मानव भी समाज के आर्थिक स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है। अतः उपयोग की मर्यादायें निर्धारित करना, यह आर्थिक लोकस्वराज्य की स्थापना का दूसरा सोपान है। आखिर तो मनुष्य में अमर्यादित उपयोग की प्रवृत्ति जन्म ले सकती है। अतः सीमित उपयोग का सिद्धान्त स्वस्थ एवं स्वतंत्र समाज के चिरयौवन का अचूक उपाय है। भारतीय दृष्टिकोण में अपरिग्रह को इसी कारण महत्व दिया गया है। भारतीय समाज की मूल प्रकृति आर्थिक लोकस्वराज्य का सबल अधिष्ठान् बनाई जा सकती है।

आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि वह आर्थिक शोषण एवं श्रम शोषण को रोकने के लिये प्रभावी उपाय है। आर्थिक सत्ता का एकत्रीकरण किसी व्यक्ति, समूह अथवा संस्था में होना समान रूप से घातक है। बहुधा यह समझ लिया जाता है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का एकाधिकार आर्थिक समानता एवं विकेन्द्रीकरण का समानार्थी है। परन्तु यह भारी भ्रम है। राज्य संस्था भले ही बाह्य रूप में जन प्रतिनिधियों द्वारा ही संचालित की जाती हो प्रवृत्ति से यह भी अछुती नहीं है। आज दुनिया में राज्य संस्था जैसी शक्ति –सम्पन्न संस्था अन्य कोई नहीं। उस अवस्था में आर्थिक सत्ता को भी वहीं केन्द्रीत कर देना भयानक संभावनाओं से भरपूर है। आशंक यह बराबर बनी रहेगी कि एक बार यदि किन्हीं निहित स्वार्थो के हाथों ऐसी राज्य सत्ता चली गई कि जिसके पास आर्थिक सत्ता भी पूर्णरूपेण केन्द्रित है, तब तो सदा सदा के लिये समाज उन स्वार्थो का दास बन जायेगा। जो भयानक स्थिति व्यक्तिगत पूॅजीवाद ने उत्पन्न की है, उसी के समान या उससे भी भयानक स्थिति राजकीय पूॅजीवाद से उत्पन्न हो सकती है। दोनों ही प्रणालियॉ व्यक्ति के अभिव्यक्ति स्वातंत्रय को प्रतिबंधित कर देती है। अतः आर्थिक लोकस्वराज्य के लिये यह आवश्यक है कि सम्पत्ति, उत्पादन के साघन एवं वितरण व्यवस्था पर न तो किसी व्यक्ति का अधिकार हो न समूह और न संस्था का भारतीय संविधान में यह चेष्टा की गयी है कि विघायिक कार्यपालिका न्यायपालिका आदि संस्थाये अपने अपने क्षेत्रों में संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप स्वतंत्र रूप से किन्तु परस्पर संपोषक बने रहकर कार्य करे, परन्तु सामाजिक जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था (अर्थपालिका) आर्थिक प्रणाली को इसी प्रकार से विकसित करने की व्यवस्था नहीं है। यह नितान्त आवश्यक है कि राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था की ही भॉति राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था भी नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा स्वतंत्रता का संरक्षण, सम्बर्धन एवं सम्पोषण कर सके। जब तक ऐसी स्वचालित प्रणाली को निहित राजनीतिक स्वार्थो के हस्तक्षेप से मुक्त रखने की संवैधानिक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक लोक स्वराज्य की स्थापना शब्द जाल मात्र ही रहेगी।

आचार्य पंकज
राष्ट्रीय अध्यक्ष
व्यवस्था परिवर्तन मंच
मो0–9219617434

समीक्षा– आपने राज्य सत्ता और अर्थ व्यवस्था की समीक्षा करते हुए यह सुझाव दिया है कि अर्थ व्यवस्था को राज्य व्यवस्था से पूरी तरह स्वतंत्र करते हुए उसी तरह स्थापित कर दिया जाय जिस तरह न्यायपालिक विघायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के पूरक भी होते है और नियंत्रक भी। आपका आशय यह है कि वित मंत्रालय एक स्वतंत्र संवैधानिक इकाई हो न कि विघायिका का अंग। मैं आपकी धारणा से सहमत हूॅ। वित व्यवस्था यदि विघायिका का पिछलग्गू मात्र न होकर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन जावे तो न तो पूॅजीवाद ही उच्श्रृखल हो पायेगा न ही राज्य अनियंत्रित हो सकेगा। राज्य वर्तमान में अनियंत्रित धन वसूल कर समाज में बांटने का ढोंग करता है। राज्य की यह दाता की स्थिति समाज को उसके समक्ष भिखारी के रूप में खड़ा करती है। जब पूरी अर्थ व्यवस्था लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हो जायेगी तो उससे एक आदर्श स्थिति बन सकती है। आप इस विषय पर और अपेक्षा राज्य से धन संबंधी निर्णय के अधिकारों की नई व्यवस्था तैयार करना अधिक उपयुक्त होगा।

पत्रोत्तर

(ख) श्री महावीर सिंह जी, इन्दिरानगर, बरेली, उत्तर प्रदेश

विचार– 1. मैने ज्ञानतत्व 166 पढ़ा। विचार मंथन हुआ। आपने लिखा है कि गांधी वादियों ने ग्राम स्वराज्य की परिभाषा ही बदल दी। इससे आपका क्या अभिप्राय है। गांधीवादी सर्वोदयी तो सतत् राजनैतिक विकेन्द्रीकरण वह आर्थिक विकेन्द्रीकरण तथा लोक स्वराज्य के लिए प्रतिबद्ध रहे है, सर्वधर्म समभाव को मानते रहे है।

2. आपने लिखा है कि राज शिक्षा और स्वास्थ्य के कार्य समाज पर छोड़ देता तो अच्छा रहता। इसमें इतना तो सही है कि समाज शिक्षा व स्वास्थ्य का संचालन करे तथा नियुक्ति व्यवस्था में सरकार का दखल

न रहे तथा आर्थिक सहायता देती रहे। लेकिन आजकल जो विघालय व चिकित्सालय पूँजीवाद व जनता के आर्थिक शोषण में लगे है, क्या उन पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए? शिक्षा व स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण व बाजारीकरण कहा तक उचित है?
3.आपका यह विचार सही है कि अर्थ का केन्द्रीकरण कहीं भी न हो न राज्य के पास न पूँजीपति के पास। राज्य के पास अर्थ का केन्द्रीकरण सर्वाधिक घातक है क्योंकि तब तो उनके सेना पुलिस संविधान मानव अर्थ की ताकत एकत्र हो जायेगी। मेरी बात में आर्थिक राजनैतिक सत्ता जनता में ग्राम वार्ड में निहित हो।

4.आपने राष्ट्रभक्ति की सही परिभाषा दी है। हमें मानव निष्ठ् व समाज निष्ठ् गनना है। यदि भारत दूसरे देशों पर हमला करें या अन्याय करें तो हमें उसका विरोध करना चाहिये।

5. केवल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन भत्तों में कटौती पर्याप्त नहीं है। मंत्रियों, प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों पूँजीपतियों के वेतन आय में भी कटौती होनी चाहियें। आय का अंतर 1:10 से अधिक न हो। आदर्श तो यह है कि 1:2 से अधिक अंतर न हो।

आपने लिखा है कि आजकल यह अंतर 20 गुना है। मेरी जानकारी में यह अंतर 300 रू0 150000रू0 अर्थात्1:500 है पूँजीपतियों की तुलना में तो यह अंतर 300 रू0 3 करोड़ अर्थात् 1:1,00,000 रू0 है।

श्री महावीर सिंह (नोएडा) के लेख '' जन सेवक के गुण ''तथा '' स्वराज्य बनाम लोकस्वराज्य '' उत्तम लगें उनको, आपको सहयोगियों को मेरी आर्थिक बधाई।

उत्तर– मैंने ज्ञानतत्व अंक 166 में गांधीवादी शब्द लिखा है सर्वोदयी नहीं। गांधीजी के जीवित रहते तक नेहरू जी या राजेन्द्र बाबू आदि भी गांधीवादी थे और विनोबा जी आदि भी। तब तक ग्राम स्वराज्य की एक ही परिभाषा थी जो आज आपने लिखी भी है। किन्तु गांधीजी की हत्या के शीघ्र बाद ही सेवाग्राम में दोनों तरह के विचार वालों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें दो अलग अलग धाराऍ बनाने पर सहमति बनी। 1 ग्राम स्वराज्य का अर्थ है राज्य सत्ता द्वारा गांवों को अधिकतम सुविधा सम्पन्न और सक्षम बनाने का राजनैतिक प्रयास 2. ग्राम स्वराज्य का अर्थ है गांव के नागरिकों को अधिकतम सुविधा सम्पन्न और सक्षम बनाने का सामाजिक प्रयास। दोनो प्रयत्न बिल्कुल अलग होंगे तथा एक दूसरे के कार्य में न हस्तक्षेप करेंगे न ही अंकुश। राजनीतिक प्रयासों ने गांवों को सुविधा सम्पन्न तो बनाया किन्तु उसके सारे अधिकार अपने पास इकट्ठे कर लिये। दूसरी शाखा सर्वोदय पूरी ईमानदारी से अपना वचन निभाती रही और सुविधा सम्पन्न गांव बनाने का प्रयास करती रही किन्तु कभी राजनीति में हस्तक्षेप की बात नहीं सोची। जब जे.पी. ने सोचा भी तो अन्य राजनेताओं की मदद से प्रयास किया जिन्होंने जे.पी. को भी उधर नहीं बढ़ने दिया। मैं यह आरोप तो नहीं लगा रहा कि सर्वोदय ने जानबूझ कर ऐसा किया किन्तु सर्वोदय ने राजनेताओं की इस धोखाधड़ी के विरूद्ध भी मजबूत आवाज नहीं उठाई। आज भी जब सर्वोदय ऐसी आवाज उठाने की ओर बढ़ रहा है तो कुछ पद लोलूप लोग उसे रोकने का भरपूर प्रयास कर रहे है। यघपि ऐसे लोग बहुत कम है लेकिन वे चुप तो आज भी नहीं है। इसलिये मैंने लिखा। वास्तव में मेरा गांधीवादी शब्द सर्वोदय के लिये नहीं, गांधीवादी राजनेताओं और उनकी कृपा पर पलने वालों के लिये ही है।

2. शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आपकी शंकाए निराधार नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय पूरी तरह बाजार पर छोड़ने से शोषण बढ़ेगा। किन्तु ये विषय सरकार के जिम्मे दे देने से शोषण घटेगा क्या?मेरे विचार में सरकार को देना खुले बाजार की अपेक्षा अधिक अहितकर होगा। राजनीतिज्ञों ने अपनी राजनैतिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार और अव्यवस्था बढ़ाई है वह खुले बाजार की अव्यवस्था और शोषण की अपेक्षा हजार गुना अधिक खराब है। मेरे एक निकट के साथी है भोपाल के अभिषेक जी अज्ञानी। हम दोनों इस विषय पर एक दूसरे को समझते और समझाते रहते है किन्तु कभी सहमति नहीं बनी। उनका तर्क है कि सबको शिक्षा प्राप्त करने में समान अवसर देना राज्य का दायित्व है। मै खूब सोचता हूँ किन्तु तीन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोज पाता।

क. सुरक्षा और न्याय राज्य का पहला दायित्व है या समानता के अवसर।
ख. राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य के निमित्त उपलब्ध अपना सारा बजट सभी बिमारों और विधार्थियों पर समान रूप से बराबर करके थोड़ा थोड़ा प्रति व्यक्ति खर्च करे या पूँजीपति सम्पन्न और सक्षम लोगों को स्वतंत्र छोड़कर गरीब और कमजोर लोगों पर ही अधिक से अधिक मात्रा में खर्च करें। स्वाभाविक है कि इससे असमान शिक्षा तो होगी ही किन्तु समानता अधिक आवश्यक है या कमजोरो पर अधिक खर्च?

ग. शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों को राज्य से स्वतंत्र करना अधिक उचित होगा कि राज्य पर अधिकाधिक हस्तक्षेप युक्त। यह प्रश्न तब और अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है जब राज्य समाज को गुलाम बना कर रखने का प्रयत्न कर रहा हो?

3. आपके सुझाव के मैं पूरी तरह पक्ष में हूँ कि स्थानीय इकाइयों को अधिक से अधिक सशक्त किया जावे।

4. मैं आपसे सहमत हूँ कि राष्ट्रपति अकेले ही न होकर पूरा का पूरा तंत्र इस मनमानी वेतन वृद्धि के पाप में शामिल है। प्रश्न तंत्र से छेड़छाड़ शुरू करने का है। एक साथ सम्पूर्ण तंत्र पर आक्रमण करना हमारी रणनीति बने या एक एक करके। सेवाग्राम में तय नीति जो बनी उस पर काम प्रारंभ है। यदि कोई संगठन एक साथ इस पर आक्रमण करे तो हमें तो और भी सुविधा होगी अन्यथा लोक स्वराज्य अभियान राष्ट्रपति की वेतन वृद्धि से शुरू कर रहा है।

5. आपने इन सबके वेतन मेरी सोच से कई गुना अधिक लिखा। इससे तो समस्या की ओर विकरालता ही प्रमाणित होती है। इस आधार पर तो और अधिक जोर शोर से लगना चाहिये। वर्षो बाद आपका पत्र पाकर खुशी हुई। आप उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के नये अध्यक्ष चुने गये है इसके लिये आपको बहुत बहुत बधाई।

(ग) श्री राम सेवक गुप्त रामानुजगंज

प्रश्न– बाबा रामदेव जी ने एक अपील जारी की है कि वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिये प्रत्येक नागरिक को मतदान अवश्य करना चाहिये तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष छेड़ देना चाहिये। उन्होंने इन दो प्रयत्नों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई है मुझे लगता है कि आप इन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आप वर्तमान समय में सामाजिक राजनीति के विश्व प्रसिद्ध विचारकों में शामिल है और रामदेव जी की भी गणना ऐसे ही विद्वानों में स्थापित है। आप उनके विचारों पर अपने निष्कर्षो से हमें अवगत कराने की कृपा करें।

उत्तर– बाबा रामदेव जी का चिन्तन क्षेत्र भिन्न है और मेरा भिन्न। उन्होंने शरीर विज्ञान पर शोध किया है और थोड़े ही समय में निष्कर्ष निकाल कर समाज को समर्पित कर दिया। आज उनके चमत्कारिक निष्कर्षो का लाभ भारत तक ही सीमित न रहकर सम्पूर्ण विश्व को भी प्राप्त हो रहा है। शरीर विज्ञान के संबंध में वे एक स्थापित विद्धान है। मैंने शरीर विज्ञान पर कोई काम किया ही नहीं। मैंने पूरे जीवन भर सामाजिक राजनीति विषय तक ही सीमित रहकर अनुसंधान किये और प्रयोग भी किये। पचीस दिसम्बर दो हजार आठ को मैंने अन्तिम रूप से दो निष्कर्ष निकाले है कि 1 व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिये नियमित रूप से मानसिक व्यायाम करना चाहिये तथा 02 व्यक्ति को सामाजिक उन्नति के लिये वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली को लोक स्वराज्य प्रणाली में बदलने का प्रयास करना चाहिये। रामदेव जी के स्वस्थ शरीर मानसिक व्यायाम भी कर सकता है और लोक स्वराज्य भी। किन्तु उन्होंने अधिकतम मतदान और भ्रष्टाचार नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का जो आह्वान किया है वह मैं नहीं समझ पा रहा। भ्रष्टाचार नियंत्रण तो हमारी प्राथमिकताओं में आंशिक रूप से शामिल भी हो सकता है किन्तु आवश्यक मतदान का औचित्य तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। यदि रामदेव जी सरीखे किसी स्थापित विद्वान का यह सुझाव नहीं होता तो मैं इस सुझाव पर विचार भी करना उचित नहीं समझता किन्तु रामदेव जी ने गंभीर समाधान समाज को दिये है तथा उनकी नीयत पर आज तक कभी कोई शंका पैदा नहीं हुई इसलिये इस विचार पर मंथन आवश्यक है।

हम सब लोगों को चार बातों पर विचार करना चाहिये–

1. समाज में आई गिरावट का दुष्प्रभाव राजनीति पर पड़ रहा है या राजनीति में आई गिरावट का दुष्प्रभाव समाज पर पड़ रहा है
2. भारत में संविधान का शासन है या शासन का संविधान है?
3. राजनेताओं की नीतियॉ ही गलत है या नीयत भी?
4. अधिक मतदान करने से राजनीति में क्या परिवर्तन संभव है? मैंने इन चारों प्रश्नों पर गहराई से स्वयं भी सोचा और साथियों से भी विचार मंथन किया। निष्कर्ष निकला कि समाज में आई गिरावट का कारण राजनैतिक पतन है न कि समाज के कारण। राजनीति में अपराधीकरण वर्तमान में अठारह

प्रतिशत के आसपास है तथा भ्रष्टाचार निन्यान्नवे प्रतिशत जबकि समाज के सामाजिक मामलों में अपराधीकरण लगभग दो प्रतिशत तथा भ्रष्टाचार करीब अस्सी प्रतिशत। राजनीतिज्ञ समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे बल्कि मालिक बन बैठे है। दूसरा निष्कर्ष यह निकला कि राजनेताओं की नीयत भी बिगड़ गई है, सिर्फ नीतियॉ ही नहीं। नीयत खराब व्यक्तियों को नीतिगत सुझाव देना बेकार होता है। तीसरा निष्कर्ष यह है कि भारत में संविधान का शासन है, शासन का संविधान नहीं। यदि भारत में कुछ अच्छा होता है तो उसकी सफलता का श्रेय संविधान को जाता है और असफलता का श्रेय भी संविधान को जाना चाहिये। शासन का अर्थ सिर्फ विधायिका मात्र न होकर कार्यपालिका, विधायिका, और न्यायपालिका का समन्वित स्वरूप होता है और ये तीनों भारतीय संविधान द्वारा संचालित होते है जो जनता का प्रतिनिधि तो कहा जाता है परन्तु वास्तव में होता नहीं वह होता है सिर्फ संसद का प्रतिनिधि मात्र। इस तरह से संविधान पर भी संसद का नियंत्रण है और शासन पर भी। संविधान संशोधन का अधिकार संसद को होने से संसद अधिक शक्तिशाली हो गई है। इस तरह से संसद और संविधान एक दुसरे के पूरक बन गये है और समाज की भूमिका मात्र व्यक्ति परिवर्तन तक ही सीमित है, व्यवस्था परिवर्तन की नहीं। तीन बाते बिल्कुल स्पष्ट है। 1 जब तक संसद में अच्छे लोग नहीं जायेंगे तब तक न सत्ता सुधरेगी न संविधान 2 जब तक चुनाव प्रणाली नहीं सुधरेगी तब तक संसद में अच्छे लोग नहीं पहुॅचेंगे 3 जब तक संविधान नहीं सुधरेगा तब तक चुनाव प्रणाली ठीक होगी न संसद में अच्छे लोग जा सकेंगे। यदि अंडा मुर्गी और मुर्गा तीनों एक दूसरे के पूरक है और हम मात्र उपभोक्ता तक सीमित है तो आवश्यकता किसी एक पर जोर न होकर इस चक्र में शामिल हो जाने की है। रामदेव जी कह रहे है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ने से संसद में अच्छे लोगों का प्रतिशत बढ़ेगा। मुझे तो इनकी यह बात बिल्कुल ही बचकाना सुझाव लगती है। बोट प्रतिशत बढ़ेगा तो अच्छे लोग संसद में जायेंगे इस कथन का कोई अर्थ इसलिये नहीं है कि न तो इस कथन के पीछे कोई आधार है न ही अब तक के साठ वर्षो का कोई उदाहरण। इसलिये रामदेव जी का यह कथन न लाभदायक होगा न हानिकारक बल्कि निष्प्रभावी होगा।

उन्होंने भ्रष्टाचार पर रोकथाम का सुझाव दिया है लेकिन भ्रष्टाचार के कारणों तक गये बिना रोकथाम कैसे संभव है यह नहीं बताया। किसी भी व्यवस्था में कानून की मात्रा जितनी अधिक होती है उतने ही अधिक भ्रष्टाचार के अवसर पैदा होते है। राजनीतिज्ञ अधिक से अधिक कानून बनाकर भ्रष्टाचार के अवसर पैदा करते रहे और हम लोग रामदेव जी की सलाह से ऐसे भ्रष्टाचार को दूर करते रहे यह मेरी समझ के बाहर है। मैंने भ्रष्टाचार पर शोध भी किया है और प्रयोग भी। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की प्रशासनिक सामाजिक रोकथाम दो प्रतिशत से अधिक हो ही नहीं सकती। तानाशाही में यह रोकथाम की शक्ति कई गुना अधिक है। पश्चिमी लोकतंत्र में कानून कम होने से भ्रष्टाचार कम पैदा होता है और रोकथाम भी संभव है जो भारत पाकिस्तान बंगलादेश आदि एशियाई देशों में संभव नहीं है। भ्रष्टाचार की रोकथाम के पूर्व दो प्रतिशत अतिआवश्यक कानूनों को छोड़कर पहल करनी होगी तब तो कुछ समाधान निकलेगा अन्यथा प्रयत्न सार्थक नहीं होंगे। हम लोगों ने रामानुजगंज में प्रयोग करके भी देखा है यदि प्रयोग की विस्तृत जानकारी चाहिये तो मैं दे सकता हूॅ।

हम सब साथी आम लोगों को शारीरिक समस्याओं से मुक्ति के लिये बाबा रामदेव जी के योग और शारीरिक व्यायाम की सलाह देते रहते है। मेरा रामदेव जी से निवेदन है कि सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिये लोकस्वराज्य और मानसिक व्यायाम को मजबूत करें। जब तक इन दो दिशाओं में सक्रियता नहीं होगी तब तक किसी भी मानसिक या सामाजिक समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि बाबा रामदेव जी इसी तरह अविचारित निष्कर्ष समाज को देते रहे तो यह संदेह पैदा होना स्वाभाविक है कि वे अब सत्ता संघर्ष में शामिल होकर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे है।

(घ) रवि अग्रवाल बनारस चौक , अंबिकापुर

प्रश्न– पचीस दिसम्बर को आपके समाजार्पण दिवस के दोनों सत्रों के भाषण मैंने सुने तथा कई लोगों के बीच चर्चाऍ भी हुई। जो दो बाते ठीक नहीं लगी वे इस प्रकार है।

1. पहले सत्र में आपने सोमराज अग्रवाल के प्रश्न का जो उत्तर दिया वह गलत था। मैं मानता हूॅ कि प्रश्न संदर्भ रहित था। मैं यह भी मानता हूॅ कि सोमराज के ऐसे ही संदर्भ रहित प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न विवाद का आपको अनुभव था। किन्तु उनके प्रश्न का गलत उत्तर देने की अपेक्षा उत्तर को टाल देना अधिक उपयुक्त होता।

2. आपने कहा कि राज्य चोरी डकैती बलात्कार और हिंसा तो रोक नहीं पा रहा और तम्बाकू ,हेल्मेट बार बालाओं के डांस या वैश्यावृत्ति जैसे अनावश्यक कामों में सर खपा रहा है। रांची वाले अनिल बाबू तथा अन्य कई लोगों को तथा मुझे भी लगा कि यदि शासन अधिक महत्व के काम नहीं कर पा रहा तो कम महत्व के काम छोड़ देने का सुझाव कितना उचित है?यदि शासन भी इन कामों को छोड़ दे तो इन्हें कौन करेगा?

उत्तर– मैंने प्रथम सत्र में विश्व स्तरीय सामाजिक समस्याएँ और समाधान विषय पर एक घंटे का बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया था। सभी सुनने.....
थी जिससे की प्रश्न तैयार कर सके। मैंने यह भी कहा था कि यह एक घंटे का भाषण से जीवन का पहला प्रहर सबसे महत्वपूर्ण भाषण है जिसको तैयार करने में मुझे बीस वर्षो का समय लगा। इतने महत्वपूर्ण विषय पर देश भर से आये सैकड़ो उच्च स्तरीय विद्वानों के बीच कुल मिलाकर प्रश्नों के उत्तर के लिये आधे घंटे का ही समय था। ऐसे विषयों पर तो कई कई दिनों का प्रश्नोत्तर चाहिये किन्तु समय की मजबूरी थी। ऐसे महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण लोग और कम समय के बीच सोमराज जी का संदर्भहीन प्रश्न वैसा ही था जैसे कोई माथे पर घिस घिसकर लगाने के लिये थोड़ी सी चंदन की लकड़ी इकट्ठी करे और कोई दूसरा साथी उस लकड़ी से चाय बनाने में जलाने की जिद कर ले। सोमराज जी के पुराने दो संदर्भ मेरे दिमाग में है 1 सन् अठासी की एक ज्ञान यज्ञ प्रश्नोत्तरी में सोमराज जी को सर्वश्रेष्ठ प्रश्न कर्ता का प्रथम पुरस्कार निर्णायक मंडल ने दिया था।

2.सन् बासठ में महामाया चौक में होने वाली आम सभा में सोमराज जी ने ही संदर्भहीन प्रश्न करके मुझे बड़े टकराव में झोक दिया था। सोमराज जी स्वयं जाने माने वकील, सी.ए. तथा विद्वान है। उनकी उक्त उपलब्धि और कटु , अनुभव के आधार पर मैं उनको महत्व भी देना चाहता था और सतर्क भी रहना चाहता था। अच्छा होता यदि मैं उनके प्रश्नों को प्रारंभ से ही संदर्भहीन कहकर टाल देता क्योंकि उनका प्रश्न था कि मेरा पूर्व नाम बजरंगलाल अग्रवाल था जो अब बजरंग मुनि क्यों हो गया। यह प्रश्न बिल्कुल ही संदर्भहीन होने से तत्काल ही रोका जा सकता था जो मैं नहीं कर सका।

दुसरा प्रश्न इसलिये पैदा हुआ क्योंकि इस विषय पर गंभीर विचार मंथन नहीं हुआ। राज्य और समाज के संबंधो पर यदि विचार करे तो स्पष्ट है कि राज्य का प्राथमिक दायित्व सुरक्षा और न्याय ही है। यदि सुरक्षा और न्याय को पूरा करके खाली समय में राज्य कुछ अन्य काम करे तो उस पर सोचा जा सकता है किन्तु यदि अस्पताल में नियुक्त डाक्टर इलाज न करके अच्छी अच्छी कविताओं से हमारा ऐसा मनोरंजन करें जिसका इलाज से कोई संबंध नही है तो ऐसे डाक्टर को हटाने के अतिरिक्त क्या उपाय है । एक संवेदनशील इलाके का हमारा टेजरी गार्ड अपना काम छोड़कर कहीं एक्सीडेंट के रोगियों की सेवा करने की आदत बना ले तो क्या होगा। एक कहानी आपने सुनी होगी कि रात भर जग कर पहरा देने वाला चौकीदार स्वप्न के आधार पर संभावित दुर्घटना की मालिक को पूर्व सूचना देकर जान बचा ले तो वह चौकीदार मुहमांगी इनाम का तो पात्र है पर चौकीदार से छुट्टी के अलावा उसका क्या उपाय है?हमने राज्य को सुरक्षा और न्याय के लिये नियुक्त किया था तम्बाकू रोकने के लिये नहीं। यदि राज्य नक्सलवाद आतंकवाद और बलात्कार न रोक सके या न रोके तो ऐसे राज्य की हम क्या पूजा करे? मेरा अब भी मत है कि सामान्य काल में राज्य सुरक्षा और न्याय के अतिरिक्त तम्बाकू और हेल्मेट का भी काम करे तो वह कर सकता है किन्तु विशेष काल में तो उसे न्याय और सुरक्षा के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य करना ही नहीं चाहिये चाहे वह कार्य कैसा भी आवश्यक क्यों न हो और यदि आपत्ति काल हो तब तो राज्य के साथ साथ समाज को भी अन्य काम छोड़कर सुरक्षा और न्याय में लग जाना चाहिये। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि आपातकाल सरीखे वातावरण में भी हम राज्य से अन्य कामों में सक्रियता की मांग करते रहते है।

(च)दिल्ली के अनुभव

मैं अप्रैल दो हजार पांच में दिल्ली गया और वहॉ करीब साढ़े तीन वर्ष रहा। पद्रह अक्टूबर पांच से शंकरपुर में कार्यालय प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व के चार पांच माह तक भजनपुरा स्थित आर्य भूषण जी के मकान में ही रहा। उन्होंने इस अवधि में परिवार के सदस्य के समान मुझे रखा। पद्रह अक्टूबर से हम शंकरपुर कार्यालय में रहने लगे। यहॉ के मकान मालिक का भी व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा। किन्तु मकान कुछ छोटा होने के कारण दो हजार सात में हम जैन मंदिर रोड शंकरपुर में चले गये। इस मकान के मालिक अरोडा जी का भी व्यवहार बहुत अच्छा था। एक बार तो आवश्यकता होने पर उनसे मैंने आठ हजार रूपया भी उधार लिया जो बाद में वापस हुआ। यह मकान बिक गया तो जनवरी आठ में हमें

लक्ष्मीनगर जाना पड़ा। इस कमान के मालिक का व्यवहार न बहुत अच्छा था न ही बुरा। जैसा आम तौर पर मालिक का और किरायेदार का संबंध होता है वैसा ही हमारा रहा। अगस्त माह के पूर्व वह मकान भी बिक गया तो हम गाजियावाद के बसुन्धरा में सेक्टर दस ए53 में ग्यारह हजार रूपया मासिक पर रहने लगे। मकान मालिक का नाम श्रीमति रिचा शर्मा है जो बहुत सम्पन्न पढ़ी लिखी सुभिक्षा में उच्च पद पर काम करने वाली महिला है। दो माह बीतते बीतते हमें यह आभास होने लगा कि हम किसी धूर्त महिला के चक्कर में फंस गये है और उक्त रिचा शर्मा और उनके पिता जी को भी यह अन्दाजा हो गया कि उनका किरायेदार पूरी तरह देहाती मूर्ख हैं। मेरा साधारण रहन सहन और वेश भूषा उनको विचार को मजबूत कर रही थी। हमसे उनकी भेंट महीने में किराये के समय ही होती थी। हम जितना ही उनसे दबते थे उतना ही वे हमें और ज्यादा ग्रामीण मान लेते थे। अक्टूबर में जब हम मकान खाली करने लगे तो उन दोनों की बिल्कुल ही नीयत बदल गई। उन दोनों ने अपने एक रिश्तेदार को बुला लिया जो अपने को पुलिस का परिचित बता रहा था। उन की नीयत यह हो गई कि हमारा सारा सामान और रूपया पैसा घर के भीतर भीतर ही छीनकर हमें खाली हाथ निकाल दे। उन्होंने हमारे साथ मारपीट करने का भी प्रयत्न किया। अन्त में ट्रेन टाइम निकट देखकर और उनकी नीयत के आधार पर मैंने मजबूर होकर सुरक्षा के लिये अपने साथियों को फोन किये। एकाएक जब कई लोग आये तब ये तीनों माफी मांगने लगे कि उनको पता नहीं था कि ये इतने विद्वान है आदि आदि।

प्रश्न उठता है कि यदि दिल्ली में मेरे परिचित नहीं होते तब मेरे सामान का और मेरा क्या होता? मैं अपना सामान छोड़कर और पिट पिटा कर घर चला आता। लोग कहते है कि महिलाओं पर अत्याचार होते है किन्तु वहॉ तो एक पढ़ी लिखी महिला इस तरह अत्याचार करने पर उतारू थी कि पुरूष भी शर्मिंदा हो जावे। मेरे ग्रामीण और सरल स्वभाव को भांपकर ही उनकी हमारे प्रति नीयत खराब हुई। तब मुझे पता चला कि दिल्ली सिर्फ वैसी ही नहीं है जैसे हम समझते है। सच्चाई यह है कि दिल्ली में सब तरह के लोग रहते है जो सहायता में भी किसी भी सीमा तक जा सकते है और अत्याचार में भी। मेरी पत्नी ने श्रीमति शर्मा का जो रौद्र रूप देखा वह तो उसे अब तक याद है और याद कर के बताती भी है कि महिलाएँ ऐसी भी होती है जो कमजोर को नंगा करने तक लूटने को तैयार हो जावे और मजबूत के सामने बिल्कुल दुबक जावे।

मैं सरगुजा जिले में जब अपनी बात कहता था तो प्रायः लोग तुरंत मान लेते थे किन्तु समझते बिल्कुल नहीं थे। दिल्ली में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहॉ लोग बहुत देर से समझते थें किन्तु समझने के बाद ही मानते थे। सरगुजा जिले में मुझे प्रशंसक तो बहुत मिले किन्तु समर्थक नहीं मिले क्योंकि आम तौर पर लोग बिना समझे ही मान लेते थे। दिल्ली में समर्थक और सहयोगी मिले। अभी अंबिकापुर में भी एक झलक आपको दिखी ही होगी। दिल्ली में मैं लगभग पूरी तरह अपरिचित था किन्तु जैसा प्यार और स्नेह वहॉ के लोगों ने दिया वह भूला नहीं जा सकता। अंतिम मकान मालकिन की लूट मार के प्रयत्न के घटना न हुई होती तो मैं दिल्ली की प्रशंसा ही .....मिलाकर मेरा दिल्ली प्रयास पूरी तरह संतोष प्रद रहा। मै दिल्ली के अपने मित्रों के प्रति आभारी रहूँगा .....

श्री दिनेश गोस्वामी , गोवाहाटी, असम

प्रश्न– आप शिक्षा के विरूद्ध अक्सर लिखते रहते है। आप शिक्षा में समान अवसर के भी विरूद्ध है। आप शिक्षा को मूल अधिकार में भी शामिल करने के विरूद्ध है आपको शिक्षा से एलर्जी क्यों है।

उत्तर– आपके लम्बे पत्र को पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकला कि आप एक श्रमिक परिवार के सदस्य रहे है। किसी तरह शिक्षा प्राप्त करके आपने उन्नति की है। यदि आपने शिक्षा प्राप्त न की होती तो आप आज तक उसी स्थिति में पड़े रहते जिसमें आपके समान अनेक श्रमजीवी आज तक पड़े है। आपका अशिक्षित परिवार भी आपके सहारे ठीक से जी रहा हैं आपने शिक्षा के ..... महत्व को ठीक से समझ लिया है। इसलिये आप शिक्षा पर बार बार जोर दे रहे है। चूंकि आपके पत्र की भाषा कुछ कटु है इसलिये मैं भी अपनी सीमा में रहकर कुछ उत्तेजक उत्तर लिख रहा हूँ।

अपने शहर के हजारों श्रमिकों मे से आप या आप जैसे गिने चुने लोग शिक्षा प्राप्त करके प्रगति कर सके। यदि आप स्वयं यह प्रगति कर लेते तो आप बधाई के पात्र थे किन्तु आपकी शिक्षा में शासन का भी बहुत धन खर्च हुआ है जिससे उन शेष बचे हजारों श्रमिकों की भी समान भागीदारी थी जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। क्या आपको नहीं लगता कि आपने उनके साथ अन्याय किया है? शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप उनकी क्या सहायता कर रहे है। आप शिक्षा प्राप्त करके अपने और अपने परिवार की सहायता में लगे है और शिक्षा का गुणनुवाद कर रहे है जिससे कि आपके ही समान कुछ और स्वार्थी लोग गरीब या श्रमजीवीयों का हम मारकर प्रगति की राह पर चल पड़े। आपने शिक्षा का तो गुणगान पूरे पत्र में जोर शोर

से किया किन्तु आपने उन गरीबो या श्रमजीवियों के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट नहीं की जिनका हक मारकर आप इतनी उॅची उॅची बाते करने लायक बने है। श्रम का मूल्य अधिकतम पचहत्तर रूपये प्रतिदिन और शिक्षा का मूल्य हजारों रूपया प्रतिदिन लेकर शिक्षा का गुणगान करने वाले श्रम शोषकों में आप भी शामिल दिखते है।

मैने ज्ञान तत्व में कुछ प्रश्न किये थे। यदि वास्तव में आपकी नीयत ठीक होती तो आप उत्तर देते। किन्तु उत्तर तो आपके पास था नहीं और डाटकर चुप कराना चाहते है। आप यह बताइये न कि शिक्षा में ही समान अवसर क्यों? क्यों नहीं सबको समान अवसर जिसमें श्रमजीवी अशिक्षित भी शामिल है? मैं तो इस मत का हूॅ कि जब तक एक भी व्यक्ति न्यूनतम श्रम मूल्य के नीचे में बेरोजगार है या जब तक एक भी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर है तब तक शिक्षा पर किया जाने वाला सारा सरकारी खर्च रोक देना चाहिये। इससे कुछ असमानता भी कम होगी तथा शोषण भी हम होगा। शिक्षित और अशिक्षित के दो ग्रुप बनाकर शिक्षितों की वकालत करना और श्रमजीवियों को उनके भाग्य पर छोड़ देना बिल्कुल ही गलत है जिससे आपको बचना चाहियें।

यदि हमें आर्थिक आधार पर दो वर्ग बनाने है तो वे सक्षम और अक्षम नाम से बन सकते है। ग्रामीण गरीब श्रमजीवी अक्षम की श्रेणी में हो सकते है। शहरी सम्पन्न बुद्धिजीवी सम्पूर्ण राजनैतिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर हावी है। ये लोग ही सिद्धान्तों की मनमानी परिभाषाओं को ही आधार बनाकर कार्यक्रम तय करते है। परिभाषाऍ बनाने में भी अक्षमों की भूमिका नहीं है और कार्यान्वयन में भी। इन शहरी सम्पन्न बुद्धिजीवियों ने ही मूल अधिकार की भी मनमानी बना ली और समानता की भी। इन लोगों ने ही शिक्षा को भी रोजगार के साथ जोड़ लिया। अब इस षडयंत्र को चुनौती देना आवश्यक है। अब यह चुनौती शुरू हो चुकी है। मेरा आपसे निवेदन है कि डांटना फटकारना बंद करके विचार मंथन के मैदान में आइये तभी कोई परिणाम निकलेगा।

(छ)उत्तरार्ध

(छ)रामानुजगंज में सामाजिक राजनीति का नया प्रयोग

रामानुजगंज बजरंगमुनि जी का गृह नगर है। लम्बे विचार मंथन के बाद वहॉ के नागरिकों ने एक नगर प्रमुख का पद स्थापित किया है जिसकी एक झलक आप सब तक मुनि जी द्वारा लिखे वहॉ के नागरिकों के नाम धन्यवाद पत्र से मिल सकती है। धन्यवाद पत्र आपको मूलतः प्रकाशित किया गया है। इस संबंध में सम्पन्न अन्य प्रक्रियाऍ तो मुनि जी ही बता सकेंगे किन्तु इस प्रयोग के माध्यम से एक आशा की किरण तो दिखती ही है। इस संबंध में विस्तृत विवेचन हेतु आप सबके प्रश्न सुझाव संबंधी पत्र आमंत्रित है जो आप सीधे अंबिकापुर पते पर भेज सकते है और नोयडा कार्यालय के पते पर भी।

आपका

ओमप्रकाश दुबे

नागरिक बंधुओं

आप सब बधाई के पात्र है कि आपने चौबीस जनवरी दो हजार नौ को नगरपालिका मैदान में शांतिपूर्वक व्यवस्थित तरीके से नगर प्रमुख का चयन किया और छब्बीस जनवरी को प्रातः उसी मैदान में हजारों नागरिकों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण सम्पन्न कराया।

यह चुनाव चौबीस जनवरी को इसी मैदान में कई सौ नागरिकों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ था। जिसमें पूर्व घोषित प्रत्येक वार्ड के दस दस नागरिक, प्रत्येक वार्ड के निर्वाचित पार्षद तथा हारे हुये निकटतम पार्षद एल्डर मैन, नगर पंचायत अध्यक्ष तथा निकटतम उम्मीदवार ग्यारह शासकीय अधिकारी,

चौदह शासकीय कर्मचारी तथा तीस गणमान्य नागरिकों द्वारा तीन चक्रों में सम्पन्न गुप्त मतदान द्वारा किया गया था। इस मतदान के पहले चरण में उम्मीदवार के नाम तय किये गये थे। दूसरे चरण में सभी उम्मीदवारों के नाम पर मतदान हुआ। तथा तीसरे चरण में सर्वाधिक तथा उनके बाद के निकटतम मत प्राप्त नाम पर मतदान हुआ। जो उम्मीदवार दलगत राजनीति छोड़ने हेतु सहमत नहीं हुये उनके नाम उम्मीदवार से हटा दिये गये। तीसरे चरण के बाद सम्पन्न मतदान में श्री देवेन्द्र प्रसाद गुप्त जी चुने गये जिन्हें तत्काल ही कई लोगों ने माला पहना कर स्वागत किया। मतदान के पूर्व मैंने इस योजना के उद्धेश्य , दायित्व तथा अधिकारों के संबंध में आम नागरिकों को बताया। इसके पूर्व पिछले माह भी आप सब के बीच खुला विचार विमर्श हुआ था किन्तु मतदान के पूर्व भी पुनः चर्चा करना आवश्यक माना गया। भी पुनः चर्चा करना आवश्यकमाना गया।

मैने बताया कि वर्तमान समय में सत्ता और समाज के बीच दूरी बढ़ती ही जा रही हैं जिसमें समाज लगातार कमजोर हो रहा है। समाज के लोग बैठकर एक उच्च सम्मान प्राप्त सामाजिक संगठन बनाये जो धर्म , जाति , भाषा क्षेत्रीयता आदि आठ समाज तोडक विचारों से मुक्त हो तथा जो सभी राजनैतिक दलों, सरकारी अफसरों एवं नागरिकों का सामाजिक प्रतिनिधित्व करें। यह संगठन सरकारी व्यवस्था में कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न करें। क्योंकि इसका प्रशासनिक अधिकार प्राप्त पद न होकर सामाजिक अधिकार प्राप्त पद है। इसकी भूमिका तथा संरचना संयुक्त राष्ट्र संघ के समान होगी।

नगर प्रमुख एक वर्ष में एक लाख रूपया नागरिकों की आवश्यकता अनुसार खर्च कर सकेगा। यह एक लाख रूपया कृषि उपज मण्डी, नगरपंचायत, प्रमुख नागरिक मिलकर दे रहे है। नागरिकों में से इकतालिस लोग एक वर्ष के लिये प्रति व्यक्ति एक हजार के हिसाब से देंगे।

नगर प्रमुख की पंद्रह सदस्यीय कार्य कारिणी घोषित हुई है जिसमें–

1. श्री सुभाष जायसवाल 2. श्री सुरेश पाण्डेय 3. श्री बैजनाथ केशरी (पत्रकार) 4. श्री विमलेश सिन्हा (अधिवक्ता)5. श्री डॉ0 तिर्की 6. श्री प्रमोद सिंह 7. श्री राम कृष्ण पटेल 8. श्री अजय गुप्ता (दवा दुकान)9. श्री रधुनाथ प्रसाद गुप्त 10. श्री अजय सोनी 11. श्री सनाउल्लाह (अधिवक्ता)12. श्री अशोक जायसवाल 13. श्री अमीरचन्द्र गुप्ता 14. श्री कन्हैयालाल अग्रवाल 15. श्री प्रमोद केशरी शामिल है। इन पंद्रह लोगों के सर्व सम्मत निर्णय के आधार पर ही नगर प्रमुख कहीं सक्रिय कदम उठा सकेंगे अन्यथा इनका किसी भी मामले में कोई सक्रिय हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इन पंद्रह सदस्यों में से कोई एक सदस्य भी किसी प्रस्ताव पर वीटो का उपयोग करें तो वह प्रस्ताव नागरिक महासंघ की आम सभा ही मतदान करके पारित कर सकती है। यदि इन पंद्रह में से कोई एक सदस्य भी नगर प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव रख दे तो उस पर आम सभा में मतदान आवश्यक होगा।

   छब्बीस जनवरी को नव नियुक्त नगर प्रमुख को नगर पंचायत अध्यक्ष श्री रामकृष्ण पटेल ने हजारों की संख्या में उपस्थित नागरिको के बीच शपथ दिलाई। विदित हो कि इस व्यवस्था में भविष्य में चुने जाने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष को नगर प्रमुख ही शपथ दिलावेंगे। जो शासकीय शपथ के बाद एक खुले समारोह में सम्पन्न होगी। नगर प्रमुख का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

   इस तरह रामानुजगंज के नागरिकों ने एक ऐसा काम पूरा किया है जो पूरे भारत के लिये अनोखा भी है और नया प्रयोग भी। भविष्य में रामानुजगंज के आस पास के दस ग्रामों में भी ऐसा ही प्रयोग करके परीक्षण किया जायेगा जिसमें यह पता चल सके कि इससे क्या लाभ तथा क्या कठिनाइयॉ है। भविष्य में आवश्यक होगा तो इसकी सफलता के लिये संशोधन भी संभव है।

   आप सब नागरिकों से मेरा पुनः निवेदन है कि आप इस योजना को सफल बनाने में पूरा सहयोग करे। प्रत्येक माह के पहले शनिवार को नगर प्रमुख जी की अध्यक्षता में एक मानसिक व्यायाम का भी कार्यक्रम प्रारंभ है। यह मानसिक व्यायाम का प्रयोग अभी पूरे विश्व में सिर्फ रामानुजगंज में ही चल रहा है जिसके लाभ के आधार पर भारत के कुछ शहरों में भी ऐसे व्यायाम के प्रयत्न जारी है। आप इस व्यायाम में भी अवश्य शामिल हो। इस व्यायाम का समय और स्थान की जानकारी आपको मिल जावेगी। नगर प्रमुख की योजना आपको सामाजिक शक्ति सम्पन्न बनायेगी तथा मानसिक व्यायाम योजना आपको व्यक्तिगत स्तर पर मानसिक रूप से शक्ति सम्पन्न करेगी। यदि आप दोनों ही दिशाओं में सक्रिय रहेंगे तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप व्यक्तिगत पारिवारिक तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान में निश्चित ही सफल हो सकेंगे।

(ज)तीस जनवरी का आंदोलन

आपको विदित हो कि लोक स्वराज्य अभियान ने बीस इक्कीस बाइस सितम्बर दो हजार आठ को घोषित किया था कि हम लोकतंत्र को लोकस्वराज्य के रूप में बदलने हेतु एक आंदोलन शुरू करेंगे। हमारा यह मत है कि राइट टू रिकाल तथा परिवार एवं ग्राम सभाओं को विधायी अधिकार दिलाने को हम इस दिशा में सार्थक कदम मानकर इस पक्ष में जनमत जागृत करेंगे। हम चाहेंगे कि लोकतंत्र लोक नियुक्त तंत्र से बदलकर लोक नियंत्रित तंत्र बन जावे जिसका अर्थ है शासन हमारे संरक्षक की भूमिका में न हो कर मैनेजर की भूमिका तक सीमित हो। इसके लिये हमे पहल करनी होगी कि हमारे मैनेजर रूपी विधायिका ,कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से जुडे लोग अपने वेतन भत्ते स्वयं तय न कर सके ,उनके वेतन भत्तों की बढ़ोतरी के पीछे कोई तर्क संगत कारण हो ऐसे वेतन भत्तों की बढोत्तरी की कोई सीमा हो तथा अब तक मनमानी बढ़ाये गये वेतन भत्तों में कटौती की पहल हो। इस हेतु हमनें भारत के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को मानकर तीस जनवरी तक उनसे वेतन भत्ते संबंधी नीति में परिवर्तन की मांग की थी अन्यथा आंदोलन शुरू करने की धमकी भी दी थी। राष्ट्रपति जी को एक मांग पत्र तथा मिलकर प्रत्यक्ष चर्चा हेतु समय का आवेदन दो बार दिया गया परन्तु कोई सुनाई नहीं हुई। तब पच्चीस छब्बीस दिसम्बर को अम्बिकापुर सम्मेलन में चर्चा करके तीस जनवरी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा की गई। इस प्रदर्शन की भी सूचना राष्ट्रपति जी को भेजी गई। राष्ट्रपति जी ने तीस जनवरी के प्रदर्शन के ठीक पहले दोपहर बारह बजे दस मिनट के लिये प्रत्यक्ष चर्चा का समय दिया। पांच लोगों को मिलने की अनुमति दी गई जिनमें श्री अशोक गादिया जी, दुर्गा प्रसाद जी आर्य, बजरंग मनि, आचार्य पंकज तथा ओम प्रकाश जी दुबे शामिल थे। मिलते समय छठवे वेतन साथी के रूप मे रंगकर्मी तथा नाटक कार आनंद गुप्त भी शामिल हो गये थे।

हम लोगों ने राष्ट्रपति जी के समक्ष तात्कालिक कदम के लिये तीन सुत्री मांग पत्र रखा :–1 राष्ट्रपति जी के राष्ट्रीय शासन व्यवस्था को सलाह दे कि

(क) तंत्र से जुडें लोगो के वेतन भत्ते तथा सुविधाए तय करने वाली टीम में तंत्र के बाहर के भी कुछ प्रतिनिधियों को शामिल करने की व्यवस्था होनी चाहिये।

(ख) तंत्र से जुड़े लोगों के अधिकतम वेतन भत्ते तथा सामान्य नागरिक के औसत जीवन स्तर के बीच अधिकतम की एक सीमा रेखा घोषित की जावे।

2. तंत्र से जुड़े लोग अपने वेतन भत्तों में की गई मनमानी वेतन वृद्धि में स्वैच्छिक कटौती करें ऐसा नैतिक संदेश राष्ट्र जी द्वारा उन्हें दिया जावें।
3. श्री मती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त अपने वेतन भत्तों में स्वैच्छिक कटौती की पहल करें।

हम सबने राष्ट्रपति जी को बताया कि हमारा अभियान वेतन भत्ते या तंत्र की सुविधओं में कटौती का न होकर लोक स्वराज्य का है जिसमें राइट टू रिकाल तथा अधिकारों का विकेन्द्रीकरण मुख्य है किन्तु हम इसके पहले चरण के रूप में इस मनमानी वेतन वृद्धि को आधार बनाकर जन जागरण शुरू किये है। राष्ट्रपति जी को पूरी बातें विस्तार से बताई गई कि हम उनसे राष्ट्रपति के रूप में क्या चाहते है तथा व्यक्तिगत रूप से क्या चाहते है।

राष्ट्रपति जी गंभीरता पूर्वक सब बातें सुनी और बताया कि यह अभियान गांधीजी के अधूरे कार्यो को पूरा करने के लिये ठीक दिशा में सक्रिय है। उन्होंने हमारी पहली मांग स्वीकार करते हुए टिप्पड़ी की कि संगठित समूह आंदोलन को हथियार बनाकर सामान्य नागरिकों के हितों के विरूद्ध अपनी बाते मनवाने में सफल हो रहे है। यह बीमारी बढ़ती जा रही है और वेतन भत्तें वृद्धि उसी दबाव का एक हिस्सा है। उन्होंने दूसरी मांग पर टिप्पणी की कि ''स्वैच्छिक कटौती व्यक्तिगत निमार्ण का मामला है। मैं स्वयं महसूस करती हूॅ कि वेतन वृद्धि का यह सिलसिला अनैतिक भी है और अमानवीय भी किन्तु यह निर्माण तो व्यक्ति स्वयं ही अपनी आत्मा के दबाव में कारेगा। इसमें हम नहीं कह सकते कि वह क्या करे''। जब बजरंग जी ने बीच में प्रश्न किया कि यदि ऐसे लोगों की आत्मा न जगे तो क्या हम उनके विरूद्ध जनमत जागरण करें। क्योंकि उनके बढ़े हुए वेतन भत्तों की भरपाई तो हमें ही करनी है, उन्हें तो सिर्फ लेना और बढ़ाना ही है तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि '' यह आप सब की स्वतंत्रता है। इस संवंध में मैं क्या सलाह दे सकती हूॅ। हमारी तीसरी मांग के संवंध में उन्होंने बताया कि उन्होने स्वयं ही अपने बढ़े हुये वेतन के एक लाख रूपये दिल्ली की चार सामाजिक संस्थाओं को दान स्वरूप देते रहने के आदेश प्रसारित कर दिये है। उन्होंने तो पिछले माह बढायें गयें एक लाख रूपया प्रतिमाह की वेतन वृद्धि को लेना शुरू नहीं किया। मुनि जी ने प्रश्न किया कि वे कानून द्वारा इस वृद्धि को अस्वीकार कर दें तो उन्होंने कहा कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है कि मैं व्यक्तिगत

आधार पर किसी पद के संबंध में वैधानिक निर्णय करूँ। बजरंग जी ने राष्ट्रपति जी से जानना चाहा कि वर्तमान वेतन वृद्धि अनुचित और अन्याय पूर्ण मानती है इस विचार को हम सार्वजनिक कर सकते है तो उन्होंने कहा कि उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। राष्ट्रपति जी ने अपने कार्यालय से निकलवाकर उन चार संस्थाओं की सूची भी दी जिन्हें दान देने का उन्होंने आदेश दिया है।

हमारी दस मिनट की मुलाकात आधे घंटे तक चली। राष्ट्रपति जी के सभी उत्तर शालीन ढंग से थे। हमने तब यह कहा कि हम लोगों ने सोचा था कि यदि राष्ट्रपति के समक्ष आर्थिक संकट होगा तो हम नागरिकगण प्रति माह पचास हजार रूपया इकट्ठा करके समाज की ओर से देने का ऑफर करेंगे जिससे शासन अपने वेतन भत्तों को बढ़ाने के लिये राष्ट्रपति जी ने सहज भाव से कहा कि उनके रहते ऐसा अवसर नहीं आयेगा।

इस मुलाकात के बाद हमार जूलूस चार सौ की संख्या में गांधी समाधि से पैदल चलकर जंतर मंतर पहुॅचा जहा हम सबने मुलाकात का विवरण दिया। साथ ही वक्ताओं ने आगे की रणनीति पर भी अपने अपने विचार रखे। सभा के बाद हम पुनः धर्मशाला में बैठे और वहॉ से थोड़ी देर बाद ही एक समूह गदिया जी के कॉलेज में आयोजित ट्रस्ट के संविधान का एक प्रारूप सबकों दिया और सुझाव मांगे। सभी सदस्यों ने अगली बैठक तक सुझाव का आश्वासन दिया। इधर धर्मशाला में अभियान के लोगों ने आगे की रणनीति बनाते हुए दो और तीन मार्च को सेवाग्राम में अभियान के संयोजक मंडल की बैठक तय की।

ट्रस्ट की बैठक से लौटने के बाद दोनों समूह अन्य उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ देर रात तक विचार मंथन किये। मुख्य विषय यह था कि राष्ट्रपति से हुई चर्चा को सफलता माना जाय या असफलता। दोनों ही विचारों में मजबूत तर्क थे। एक पक्ष मानता है कि वेतन वृद्धि के मामले में राष्ट्रपति से चर्चा के बाद हमारा पक्ष मजबुत हुआ है। अब हम अन्य लोगों को अधिक सुविधा जनक तरीके से इस संबंध में निरूत्तर कर सकेंगे क्योंकि राष्ट्रपति जी ने पहल भी कर दी है और ऐसी वृद्धि को अनुचित भी कह दिया है। दूसरे पक्ष का मनना था कि इस मुलाकात से हमारा लोकस्वराज्य का उद्वेश्य कमजोर होकर वेतन वृद्धि तक सिमट गया है जैसा कि जे.पी.आंदोलन में हुआ था। इस मांग पर एकसूत्री जोर देने से हमारा लक्ष्य कमजोर हो जायेगा। पहले पक्ष का मानना था कि स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी ने चम्पारन सत्याग्रह या नमक आंदोलन छेड़ा उससे लाभ हुआ था हानि नहीं दूसरे पक्ष का मत था कि चम्पारन सत्याग्रह या नमक आंदोलन के पूर्व स्वतंत्रता आंदोलन जन जन तक एक स्वरूप और उद्वेश्य ग्रहण कर चुका था। इस लिये वह दिशा भ्रमित नहीं हुआ। लोक स्वराज्य अभियान अब तक अपनी स्वतंत्र पहचान और स्पष्ट लक्ष्य नहीं बना सका है इसलिये लक्ष्य ओझल होकर वेतन वृद्धि ही लक्ष्य बनने का खतरा दिख रहा है।

लम्बी चर्चा के बाद तय हुआ कि लोक स्वराज्य को लक्ष्य प्रचारित किया जावे, राइट टू रिकाल और परिवार गांव जिले को विधायी अधिकार सौंपने के मुद्दों को मार्ग तथा वेतन वृद्धि को तात्कालिक जन जागरण का आधार घोषित करना चाहिये। कभी भी वेतन वृद्धि को पहली या एकमात्र गांव के रूप में रखना ठीक नहीं है। राष्ट्रपति के समक्ष मांग पत्र में भी ऐसा होना चाहिये था जो नहीं हो सका। भविष्य में ध्यान रखा जाय।

इस बैठक में इस बात पर भी गंभीर चर्चा हुई कि यदि अपना कोई साथी लोकस्वराज्य को लक्ष्य तथा राइट टू रिकाल और परिवार गांव जिले को विधायी अधिकार तथा वेतन संबंधी हमारी मांगों को आधार बनाकर चुनाव लड़ता है या राजनीति करता है तो हमारा इस संबंध में क्या स्टैण्ड हो। इस संबंध में तत्काल चर्चा इसलिये भी आवश्यक थी क्योंकि इकतीस जनवरी के फरीदाबाद सम्मेलन में ऐसी चर्चा की पूरी पूरी संभावना थी। दो स्पष्ट विचार धाराऍ बनी

1. हमें ऐसे प्रयासों से दूरी बनाकर रखनी चाहिये क्योंकि इस प्रयास से हमारा अभियान दलगत राजनीति की दिशा में चला जायेगा।
2. हमें ऐसे प्रयासों को समर्थन देना चाहिये क्योंकि संविधान संशोधन का यही तो एकमात्र मार्ग है।

दोनों ओर से मजबूत तर्क दिये गये। यह विचार मंथन बहुत लम्बा चला। अन्त में मुनि ने सभी उपस्थित साथियों से तीन प्रश्न किये

1. हमारा अभियान ऐसे राजनीतिक प्रयास को शत्रुवत, कार्य मानकर उसका विरोध करें। या
2. हमारा अभियान ऐसे प्रयास को मित्रवत कार्य मानकर सहयोग करें। या

3. अपने साथियों को छूट दी जावे कि वे जिस भी प्रयत्न के साथ जाना चाहे जा सकते हैं। यह चयन उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी संगठनात्मक नहीं।

उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से राय ली गई। ज्यादा लोगों की राय बनी कि इस संबंध में सक्रियता के लिये प्रत्येक साथी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जावे कि वह किस दिशा में जुड़ना चाहता है। यह भी तय हुआ कि इक्तीस तारीख के फरीदाबाद सम्मेलन में जो साथी न जाना चाहे उन्हें इसलिये छूट होगी कि वहा दलगत राजनीति चर्चा संभावित है। तत्काल ही कई साथियों ने वहॉ जाने का निर्णय किया और कई ने जाने का। दुर्गा प्रसाद जी आर्य अविनाश भाई गादिया जी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने जाने के प्रति सहमति जताई और आचार्य पंकज जी ओमप्रकाश जी दुबे एम.एच. पाटिल आदि कई लोगों ने न जाने की घोषणा नहीं कर सकते किन्तु वे व्यक्तिगत स्तर पर वहॉ जाकर राष्ट्रपति से हुई चर्चा को सभा में रखेंगे।

इक्तीस तारीख को सम्पन्न सम्मेलन में उपस्थिति करीब दो हजार लोगों की थी। प्रबुद्ध लोगों की संख्या ज्यादा थी। कुछ उम्मीदवारों ने अपने अपने शपथ पत्र पढ़े जिसमें उनकी सम्पूर्ण सम्पति का विवरण राइट टू रिकाल तथा परिवार जिला गांव के विघायी अधिकारों को संविधान में शामिल कराने के लिये संघर्ष की शपथ तथा वेतन भत्ते तय करने में टैक्स देने वालों के अधिकार की बात शामिल करना शामिल है। यह भी शपथ पत्र में शामिल की गई थी कि यदि जीत जाने के बाद भी मैं अपनी शपथ के विपरीत आचरण करता हूॅ तो क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को मेरे विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का अधिकार होगा।

इस सभा में लोक स्वराज्य अभियान से जुड़े कई लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। मुनि जी ने राष्ट्रपति की चर्चा का विवरण दिया और अन्त में राष्ट्रगान के साथ सभा समाप्त हुई।

बाद में हुई अनौपचारिक चर्चा में मुनि जी ने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट का कार्य बिल्कुल भिन्न है। व्यवस्था परिवर्तन मंच का कार्य आचार्य पंकज जी तथा वात्सल्य जी देख रहे है। वे राइट टू रिकाल तथा परिवार गांव जिले को विघायी अधिकारों के संघर्ष के साथ साथ आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का भी सुझाव दे रहे है। रणवीर शर्मा जी इन्हीं मुद्दों के साथ साथ वेतन विसंगति को जोड़कर चल रहे है। सबका लक्ष्य एक होने से कोई टकराव नहीं है। सब लोग किसी भी समूह के साथ जुड़ सकते है या सबके साथ भी जुड़ सकते है। ज्ञान यज्ञ परिवार विचार मंथन के माध्यम से समाज सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहा है। उससे भी जुड़ा जा सकता है इस सलाह के साथ यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।